

नियम 118 : धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा

प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के उपबंध लागू हैं ¹[नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए] में **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में प्रदाय का अनुपात जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य वर्धित कर या सेवा कर संदत्त किया जा चुका लेकिन प्रदाय नियत तारीख के बाद किया है और उस पर अनुज्ञेय निवेश कर प्रत्यय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 36/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2017 द्वारा "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि" के स्थान प्रतिस्थापित।